उत्तर प्रदेश शासन
श्रम अनुभाग-3
संख्या:- 02 /2025/818/36-03-2025-1619905
लखनऊ : दिनांक: 17 जुलाई, 2025

DLC (प्रवर्तन)
21/7/25

अधिसूचना

न्यूनतम मजूदरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (3) तथा धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या-02/2024/707/36-03-2024-1619905, दिनांक 09 जुलाई, 2024 का अधिक्रमण करके राज्यपाल, दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें, निम्नानुसार नियत और पुनरीक्षित करते हैं:-

क्रम संख्या	कृषि कार्य का प्रकार	सम्भाग	वयस्क कर्मकारों के लिये मजदूरी की सर्वसमावेशी न्यूनतम दरें
1	भूमि का कृषिकरण और बोना, किसी कृषि वस्तु का उत्पादन, कृषिकरण, उगाना और काटना, खेती उपज के विपणन के लिये तैयारी और भंडार में या मंडी में वितरण या मंडी तक परिवहन के लिये वहन और म्यूनिसिपल या कैन्टनमेंट सीमाओं के छः किलोमीटर के भीतर स्थित खेती सम्मिलित करते हुए समस्त आकार की खेती में मशरूम का कृषिकरण सहित कृषि कार्यों के आनुषंगिक या उनके साथ-साथ की जाने वाली कोई क्रियाएं।	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश	रुपये 6552/- प्रतिमाह या रुपये 252/- प्रतिदिन
2	वन सबधी या काष्ठ उपकरण सम्बन्धी क्रिया, जो कृषि कार्यों के साथ-साथ की जाती है।		
3	दुग्ध उद्योग, पशुधन में वृद्धि, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन और उनकी आनुषंगिक क्रियाएं।		

2 - न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नकद या कर्मचारियों की सहमति से जिसमें अंशतः नकद या अंशतः कृषि उपज में, इस प्रकार किया जा सकता है कि मजदूरी का कुल मूल्य, किसी भी दशा में विहित न्यूनतम मजदूरी दरों से कम न हो। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान पूर्ण या आंशिक रूप से, ऑनलाइन डिजिटल भुगतान विकल्पों का उपयोग करके भी किया जा सकता है।

3- मजदूरी की प्रति घंटा दरें, दैनिक दरों के 1/6 भाग से कम न होगी।

4- किसी भी रूप में मजदूरी की दरें, किसी कर्मचारी के हित के प्रतिकूल लागू न होंगी अर्थात् यदि इस अधिसूचना के अधीन विहित दरों से अधिक मजदूरी की दरों का भुगतान किया जा रहा है तो उसका भुगतान किया जाता रहेगा और इन्हें इस अधिसूचना के अधीन विहित मजदूरी की न्यूनतम दर समझा जाएगा।

आज्ञा से,

Digitally signed by
SHANMUGA SUNDARAM
Date: 17-07-2025
12:25:50

(डा० एम०के० शनमुगा सुन्दरम्)
प्रमुख सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या:-02 /2025/818(1)/36-03-2025-1619905 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 17 जुलाई, 2025 की असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-4 (खण्ड-ख) में प्रकाशित कर अधिसूचना की 50 मुद्रित प्रतियां श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ एवं 50 प्रतियाँ श्रम आयुक्त, उ०प्र० कानपुर पत्र पेटी संख्या-220 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- श्रम आयुक्त, उ०प्र० कानपुर।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०। (द्वारा श्रमायुक्त, उ०प्र०)

4- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/निदेशक दूरदर्शन तथा निदेशक आकाशवाणी को जनसाधारण के प्रचार-प्रसार हेतु।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 507-17 प्रवर्तन/2025 दिनांक: 24/07/2025,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2—समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि वह अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजक व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध करायें।

3—विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग—3, बापू भवन, लखनऊ को उक्त अधिसूचना सं0—02/2025/707 /36—03—2025—1619905 दिनांकः 17 जुलाई 2025 के कम में।

4—सहायक निदेशक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, (वेजसेल)/भारत सरकार नई दिल्ली को ईमेल के माध्यम से।

5—अधिशाषी अभियन्ता, निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।

6—अपर श्रम आयुक्त(नजारत) को नोटिस ब्रोर्ड पर चस्पा हेतु।

7—अपर श्रम आयुक्त(आई0आर0), मुख्यालय।

8—अपर श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर)मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त एवं सहायक निदेशक भारत सरकार को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने का विभागीय बेबसाइट पर अपलोड कराते हुए एवं उप श्रम आयुक्त (पुस्तकालय) को सूचनार्थ एवं अभिलेखार्थ प्रेषित।

9—समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशानार्थ।

10—निदेशक कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, कृषि भवन, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।

11—कुलपति सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ तथा आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ।

24.7.2025

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

Scanned with OKEN Scanner